	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE *Extraordinary*
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	वैशाख 26, बुधवार, शाके 1934–मई 16, 2012 *Vaisakha 26, Wednesday, Saka 1934–May 16, 2012*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, May 16, 2012

No. F. 2 (30) Vidhi/2/2012.–The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 15th day of May, 2012 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY (OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 2012

(Act No. 19 of 2012)

[Received the assent of the Governor on the 15th Day of May 2012]

An

Act

further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In section 3 of the Rajasthan Legislative Assembly

(Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), hereinafter referred to as the principal Act,-

(a) in sub-section (1),-

(i) in clause (a), for the existing expression "twenty three thousand rupees", the expression "thirty three thousand rupees" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2012; and

(ii) in clause (b), for the existing expression "twenty one thousand rupees", the expression "thirty thousand rupees" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2012; and

(b) in sub-section (2), for the existing expression "1st August, 2009", the expression "1st April, 2012" shall be substituted.

3. Amendment of section 3-A, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In section 3-A of the principal Act,-

(a) for the existing expression "1st August, 2009", the expression "1st April, 2012" shall be substituted; and

(b) for the existing expression "twenty thousand rupees", the expression "thirty thousand rupees" shall be substituted.

4. Amendment of section 4, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In section 4 of the principal Act, for the existing expression "ten thousand rupees per mensem with effect from 1st August, 2009" , the expression "fifteen thousand rupees per mensem with effect from 1st April, 2012" shall be substituted.

5. Amendment of section 4-A, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In section 4-A of the principal Act, for the existing sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) With effect from 1st April, 2012 there shall be paid to every person, who has served as a member of the Rajasthan Legislative Assembly for any period upto five years, whether continuous or not, a pension of rupees seven thousand five hundred per mensem and an additional pension of rupees one thousand per mensem for every year or part thereof, whether continuous or not, beyond the aforesaid period of five years:

Provided that no such pension shall be paid to any person for the period during which such person was or is in receipt of any salary as Member of Parliament or any State Legislature or from any State Government or the Central Government, or any Corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government or any local authority and if any such salary was or is received the payment of pension shall be suspended for that period:

Provided further that the salary or remuneration payable to such person for being such member or for holding such office or being so employed, is in any case less than the pension payable to him under this section, such person shall be entitled only to receive the balance as pension under this section:

Provided also that pension payable to a person under this section shall be increased by twenty percent if he has attained the age of seventy years and shall be increased by thirty percent if he has attained the age of eighty years.

Explanation I.- In computing the number of years for the purposes of determining pension under this section, the period during which a person has served as a Minister or as an officer as defined in this Act, or both, by virtue of his membership of the Rajasthan Legislative Assembly shall be taken into account.

Explanation II.- If the Legislative Assembly is dissolved before the expiration of the period of five years, for the purpose of computing the period as Member of the Legislative Assembly the period commencing with the date of the constitution of the Legislative Assembly after the General Election and ending with the date of dissolution, shall be deemed to be five years.

Explanation III.- For the purpose of this section, salary includes salary received under this Act and salary received as:-

(i) the President or Vice-President or Governor of any State or the Administrator of any Union Territory; or

(ii) a Member of the Parliament or any State Legislature; or

(iii) a Minister or Deputy-Minister of the Government of India or any State; or

(iv) the Chairman or Deputy-Chairman of the Council of States, or the Legislative Council of any State; or

(v) the Speaker or Deputy-Speaker of the House of the People, or of the Legislative Assembly of any State.

Explanation IV.- In computing the amount of pension payable to any person under this section, the amount of pension received by him under the Rajasthan Freedom Fighters Aid Rules, 1959 or under any other rules made on the same subject shall not be taken into account.

Explanation V.- In computing the number of years for the purpose of determining pension under this section with respect to a person who is elected to the Legislative Assembly in a bye-election, the period commencing with the date on which such person takes oath of his membership and ending with the date of dissolution of the Assembly shall be deemed to be five years.".

6. Amendment of section 4-C, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- The existing provisions of section 4-C of the principal Act shall be renumbered as sub-section (1) thereof and after the existing sub-section (1) so renumbered,-

(i) the following explanations shall be added with effect from 28th April, 2010, namely:-

"**Explanation I.-** For the purpose of this section 'last drawn pension', in respect of a member of the Legislative Assembly who had died or resigned before the expiry of his term of his office shall be the amount to which such member would have been entitled under section 4-A on the day immediately following the day of his death or, as the case may be, resignation, and in respect of an Ex-member who did not draw pension before his death, shall be the amount to which such member would have been entitled under section 4-A on the day immediately following the day of expiry of his last term of office.

Explanation II.- In computing the amount of pension payable to any person under this section, the amount of pension received by him under the Rajasthan Freedom Fighters Aid Rules, 1959 or under any other rules made on the same subject shall not be taken into account."; and

(ii) the following sub-section shall be added, namely:-

"(2) With effect from 1st April, 2012 every person entitled to family pension under this section, subject to

rules, if any, made in this behalf by the State Government, shall be entitled to reimbursement of any expenditure on account of medical treatment equivalent to that permissible to the retired officers of class I services of the State Government.".

7. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In section 5 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1),-

(a) for the existing expression "1st August, 2009", the expression "1st April, 2012";

(b) for the existing expression "twenty two thousand rupees", the expression "thirty thousand rupees"; and

(c) for the existing expression "twenty thousand rupees", the expression "twenty seven thousand rupees",

shall be substituted; and

(ii) in sub-section (2),-

(a) for the existing expression "1st August, 2009", the expression "1st April, 2012"; and

(b) for the existing expression "twenty thousand rupees", the expression "thirty thousand rupees",

shall be substituted.

8. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In sub-section (1) of section 6 of the principal Act,-

(a) for the existing expression "1st August, 2009", the expression "1st April, 2012";

(b) for the existing expression "twenty two thousand rupees", the expression "thirty thousand rupees"; and

(c) for the existing expression "twenty thousand rupees", the expression "thirty thousand rupees",

shall be substituted.

9. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the principal Act,-

(a) for the existing expression "seven hundred rupees", the expression "one thousand rupees"; and

(b) for the existing expression "eight hundred rupees", the expression "one thousand two hundred fifty rupees",

shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2012.

10. Amendment of section 8-B, Rajasthan Act No. 6 of 1957.-In the existing section 8-B of the principal Act ,-

(a) in sub-section (1), for the existing expression "rupees one lakh", the expression "rupees one lakh fifty thousand" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2012;

(b) in sub-section (2), for the existing expression "rupees one lakh", the expression "rupees one lakh fifty thousand" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2012; and

(c) in proviso to sub-section (3), for the existing expression "rupees one lakh", the expression "rupees one lakh fifty thousand" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2012.

11. Amendment of section 8-C, Rajasthan Act No. 6 of 1957.-In sub-section (1) of section 8-C of the principal Act, for the existing expression "thirty thousand", the expression "forty thousand" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from 1st April, 2012.

12. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. 6 of 1957.- In clause (iii) of sub-section (1) of section 9 of the principal Act,-

(i) for the existing expression "fifty thousand rupees", the expression "eighty thousand rupees" shall be substituted; and

(ii) for the existing expression "the date of commencement of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1998 (Act No. 5 of 1998)", the expression "1st April, 2012" shall be substituted.

प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 16, 2012

संख्या प. 2 (30)विधि/2/2012.-राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में ''दी राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली (ऑफीसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेंट्स एण्ड पेंशन) (अमेन्डमेंट) एक्ट, 2012 (एक्ट नं. 19 ऑफ 2012)'' का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2012

(2012 का अधिनियम संख्यांक 19)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 मई, 2012 को प्राप्त हुई]

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2012 है ।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं 6 **क़ी धारा** 3 **का संशोधन.-**राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं 6), जिसे इस अधिनियम में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में,-

(क) उप-धारा (1) में,-

(i) खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "तेईस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तैंतीस हजार रुपये"

प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रेल, 2012 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी; और

(ii) खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "इक्कीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रेल, 2012 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी; और

(ख) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अगस्त, 2009" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2012" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं 6 **की धारा** 3-**क का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा **3-**क में**,-**

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अगस्त, 2009" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2012" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "बीस हजार रुपये प्रतिमास" के स्थान पर अभिव्यक्ति " तीस हजार रुपये प्रतिमास" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अगस्त, 2009" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2012" और अभिव्यक्ति "दस हजार रुपये प्रतिमास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पंद्रह हजार रुपये प्रतिमास" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 4-क का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4-क में विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(1) 1 अप्रेल, 2012 से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जो राजस्थान विधान सभा सदस्य के रूप में, निरन्तर या अन्यथा पांच वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, सात हजार पांच सौ रुपये की पेंशन और उपर्युक्त पांच वर्ष की कालावधि से अधिक निरंतर या अन्यथा प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिए एक हजार रुपये की अतिरिक्त पेंशन प्रति मास संदत्त की जायेगी :

परन्तु किसी भी व्यक्ति को ऐसी कालावधि के लिए ऐसी किसी पेंशन का संदाय नहीं किया जायेगा जिसके दौरान उसे संसद् या किसी भी राज्य विधान-मण्डल के सदस्य के रूप में या किसी भी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से कोई वेतन प्राप्त होता था या होता है और यदि ऐसा कोई वेतन प्राप्त होता था या होता है, तो उस कालावधि के लिए पेंशन का संदाय स्थगित रहेगा:

परन्तु यह और कि जहां ऐसे किसी व्यक्ति को ऐसा सदस्य होने के कारण या ऐसे किसी पद धारण या इस प्रकार नियोजित होने के फलस्वरूप संदेय वेतन या पारिश्रमिक किसी भी दशा में इस धारा के अधीन उसे संदेय पेंशन से कम हो तो ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन पेंशन के रूप में केवल उनका अंतर प्राप्त करने का हकदार होगा :

परन्तु यह भी कि इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को संदेय पेंशन में, यदि उसने सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करली हो तो बीस प्रतिशत की वृद्धि, और यदि उसने अस्सी वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तो तीस प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

स्पष्टीकरण I.- इस धारा के अधीन पेंशन अवधारित करने के प्रयोजन के लिए वर्षों की संख्या संगणित करने में उस कालावधि को गिना जायेगा जिसके दौरान कोई व्यक्ति राजस्थान विधान सभा की सदस्यता के आधार पर मंत्री या इस अधिनियम में यथा परिभाषित कोई अधिकारी या दोनों रहा हो।

स्पष्टीकरण II.- यदि पांच वर्ष की कालावधि समाप्त होने के पूर्व ही विधान सभा विघटित कर दी जाती है, तो विधान सभा के सदस्य के रूप में कालावधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए आम चुनाव के पश्चात् विधान सभा गठित होने की तारीख से प्रारम्भ होकर उसका विघटन होने की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि पांच वर्ष की कालावधि समझी जायेगी।

स्पष्टीकरण III.- इस धारा के प्रयोजन के लिए वेतन के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन प्राप्त वेतन और निम्नलिखित के रूप में प्राप्त वेतन भी है:-

(i) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या किसी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक; या

(ii) संसद् या किसी राज्य विधान-मण्डल का सदस्य; या

(iiii) भारत सरकार या किसी राज्य का मंत्री या उपमंत्री; या

(iv) राज्य सभा, या किसी राज्य की विधान परिषद् का सभापति या उपसभापति ; या

(v) लोक सभा, या किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष।

स्पष्टीकरण IV.- इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को संदेय पेंशन की रकम संगणित करने में राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सहायता नियम, 1959 के अधीन या इसी विषय पर बनाये गये किन्हीं भी अन्य नियमों के अधीन उसके द्वारा प्राप्त पेंशन की रकम हिसाब में नहीं ली जायेगी।

स्पष्टीकरण V.- इस धारा के अधीन उस व्यक्ति के संबंध में पेंशन अवधारित करने के प्रयोजन के लिए, जो विधान सभा के लिए किसी उपचुनाव में निर्वाचित होता है, वर्षों की संगणना करने में, जिस तारीख को ऐसा व्यक्ति अपनी सदस्यता की शपथ लेता है उससे प्रारम्भ होने वाली और विधान सभा के विघटन की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि को पांच वर्ष समझा जायेगा।"।

6. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं.6 की धारा 4-ग का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 4-ग में विद्यमान उपबंधों को उप-धारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित विद्यमान उप-धारा (1) के पश्चात्,-

(i) 28, अप्रेल, 2010 से निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण-I.- इस धारा के प्रयोजन के लिए, ऐसे विधान सभा सदस्य के संबंध में, जो अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व मर चुका है या त्यागपत्र दे चुका है, "अंतिम आहरित पेंशन" वह

रकम होगी, जिसका वह उसकी मृत्यु या, यथास्थिति, त्यागपत्र के दिन से ठीक अगले दिन धारा 4-क के अधीन प्राप्त करने का हकदार रहा होता, और ऐसे भूतपूर्व सदस्य के संबंध में, जिसने अपनी मृत्यु से पूर्व पेंशन आहरित न की हो, वह रकम होगी जो ऐसा सदस्य, उसकी पदावधि समाप्त होने के दिन से ठीक अगले दिन धारा 4-क के अधीन प्राप्त करने का हकदार रहा होता।

स्पष्टीकरण-II.- इस धारा के अधीन संदेय किसी भी पेंशन की रकम की संगणना करने में राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सहायता नियम, 1959 या इसी विषय पर बनाये गये किन्हीं भी अन्य नियमों के अधीन उसके द्वारा प्राप्त पेंशन की रकम हिसाब में नहीं ली जायेगी।"; और

(ii) निम्नलिखित उप-धारा जोडी़ जायेगी, अर्थात् :-

"(2) इस धारा के अधीन कौटुम्बिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार प्रत्येक व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियम, यदि कोई हों, के अध्यधीन रहते हुए, 1 अप्रेल, 2012, से चिकित्सीय उपचार के मद्धे किसी व्यय की ऐसी प्रतिपूर्ति का हकदार होगा, जो राज्य सरकार की सेवाओं के सेवानिवृत्त प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को अनुज्ञेय है।"।

7. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 5 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

(i) उप-धारा (1) में -

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अगस्त, 2009" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2012";

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "बाईस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीस हजार रुपये"; और

(ग) विद्यमान अभिव्यक्ति "बीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सत्ताईस हजार रुपये",

प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) उप-धारा (2) में -

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अगस्त, 2009" के स्थान पर अभिव्यक्ति " 1 अप्रेल, 2012"; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "बीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति " तीस हजार रुपये",

प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 6 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अगस्त, 2009" के स्थान पर अभिव्यक्ति " 1 अप्रेल, 2012";

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "बाईस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति " तीस हजार रुपये"; और

(ग) विद्यमान अभिव्यक्ति "बीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति " तीस हजार रुपये",

प्रतिस्थापित की जायेगी।

9. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 8 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "सात सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक हजार रुपये"; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "आठ सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक हजार दो सौ पचास रुपये",

प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रेल, 2012 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

10. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 8-ख का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 8-ख में,-

(क) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "एक लाख रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक लाख पचास हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रैल, 2012 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी और विद्यमान अभिव्यक्ति " 1 अप्रेल, 2010 से" हटायी जायेगी;

(ख) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "एक लाख रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक लाख पचास हजार

रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रैल, 2012 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी; और

(ग) उप-धारा (3) के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "एक लाख रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक लाख पचास हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रेल, 2012 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

11. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 8-ग का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 8-ग की उप-धारा (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "तीस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "चालीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी और 1 अप्रेल, 2012 से प्रतिस्थापित की हुई समझी जायेगी।

12. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 6 की धारा 9 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (iii) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति" "अस्सी हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम सं.5) के प्रारम्भ की तारीख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 अप्रेल, 2012" प्रतिस्थापित की जायेगी।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

13

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।